न्यायालय : अवर न्यायाधीश–प्रथम, बेनीपुर ।

<u>हकीयत वाद सं0–74/2018</u>
Reg. No. 80/18

मोद चौधरी उर्फ मोद नारायण चौधरी एवं अन्य...........वादीगण।

बनाम

बिहार सरकार...प्रतिवादी।

2.09.2024 वादी की हाजरी है।

वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र में दी गई भूमि से संबंधित आर0एस0 खतियान में बिहार सरकार का नाम गलत रूप से दर्ज हो हो गया है जिसे सुधार करने हेतु दाखिल किया है।

वादपत्र का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने दिनांक 24.11.2018 को वादपत्र दाखिल किया तथा दिनांक 16.01.2019 को वाद का ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु वादी द्वारा सम्मन का उपकरण दाखिल किया गया, जिसका नजारत से तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। वादी को दिनांक 05.2.24 को दैनिक जागरण में प्रकाशन कराने का आदेश दिया गया था किन्तु वादी न तो प्रकाशन का प्रारूप दाखिल कर रहे हैं और न ही उपस्थित हो रहे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः वादी का हकीयत वाद अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता है ।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

अवर न्यायाधीश प्रथम,
बेनीपुर।
02.09.2024